रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-20112020-223202
CG-MH-E-20112020-223202

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 505] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 19, 2020/कार्तिक 28, 1942
No. 505] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 19, 2020/KARTIKA 28, 1942

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 29 अक्तूबर, 2020

संख्या टीएएमपी/55/2013-केपीटी.— महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा दीन दयाल पत्तन न्यास (डीपीटी) में इफ्फको किसान लॉजिस्टिक्स लिमिटेड (आईकेएलएल) [पहले इफ्फको किसान बाजार एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड (आईकेबीएलएल) के नाम से ख्यात थी] के मौजूदा दरमानों की वैधता का विस्तार, इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार, करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/55/2013-केपीटी

इफ्फको किसान लॉजिस्टिक्स लिमिटेड(आयकेएलएल) - - - *आवेदक*

आदेश

(अक्तूबर 2020 के 28 वें दिन पारित)

यह मामला दीन दयाल पत्तन न्यास (डीपीटी) में इफ्फको किसान लॉजिस्टिक्स लिमिटेड (आईकेएलएल) [पहले इफ्फको किसान बाजार एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड (आईकेबीएलएल) के नाम से ख्यात थी] के मौजूदा दरमानों की वैधता के विस्तार से संबंधित है।

2. इस प्राधिकरण ने 15 मई 2015 के आदेश संख्या टीएएमपी/55/2013-केपीटी के अंतिम दरों के अनुमोदन तक द्वारा इस प्राधिकरण द्वारा अंतरिम प्रशुल्क व्यवस्था के तौर पर डीपीटी में इफ्फको किसान बाजार और लॉजिस्टिक्स लिमिटेड (आईकेबीएल) की बार्ज जेटी में कार्गो प्रहस्तन के दरमान अनुमोदित किये थे। उक्त आदेश भारत के राजपत्र में 28 मई 2015 के राजपत्र संख्या 195 में अधिसूचित हुआ था।

3.1. तत्पश्चात्, इस प्राधिकरण ने 15 जनवरी, 2016 के आदेश संख्या टीएएमपी/55/2013-केपीटी के द्वारा आईकेबीएलएल के दरमान अनुमोदित किये जिसमें अंतरिम दरमानों में निर्धारित भाग-3 कार्गो प्रहस्तन प्रभारों को लागत के आधार पर संशोधित किया गया।

3.2. उक्त आदेश भारत के राजपत्र में 17 फरवरी 2016 के राजपत्र संख्या 69 में अधिसूचित हुआ था। उक्त आदेश में निर्धारित दरमानों की वैधता 31 मार्च, 2018 तक थी। दिया गया अनुमोदन उसके बाद स्वत: ही व्यपगत हो जाना था जब तक कि उसका विस्तार इस प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जाता।

4.1. अब, इफ्फको किसान लॉजिस्टिक्स लिमिटेड (आईकेएलएल) (पहले आईकेबीएलएल के नाम से ख्यात) ने 2 सितंबर, 2020 के अपने पत्र के द्वारा अपने मौजूदा दरमानों के खंड 3 के अंतर्गत निर्धारित कार्गो प्रहस्तन प्रभारों की वैधता का विस्तार 31 दिसंबर, 2020 तक करने का अनुरोध किया है। आईकेएलएल द्वारा उठाये गए मुख्य मुद्दों का सार इस प्रकार है:-

(i) 17 फरवरी, 2016 को अधिसूचित प्रशुल्क आदेश के अनुसार अनुमोदित दरें 31 मार्च, 2018 तक वैध थीं। लेकिन, इफ्फको अनजाने में उसकी समाप्ति की तारीख से पूर्व समय सीमा के विस्तार के लिए आवेदन करना भूल गया। अब इफ्फको प्राधिकरण को अपनी इस गलती को माफ करने का अनुरोध करता है।

(ii) डीपीटी बहुत व्यस्त पत्तन है और आईकेएलएल यह प्रत्याशा करता था कि डीपीटी तृतीय पक्ष कार्गो को 17 फरवरी 2011 को आईकेबीएलएल और डीपीटी के बीच हुए रियायत करार के अनुसार बर्थ पर उपलब्ध खाली समय में आईकेएलएल आरक्षित बार्ज जेटी को अपवर्तन करेगा। लेकिन डीपीटी ने आज तक कोई तृतीय पक्ष कार्गो अपवर्तित नहीं किया है। परिणामस्वरूप, आईकेएलएल ने, प्राधिकरण द्वारा दिये गए प्रशुल्क अनुमोदन के बाद से कोई तृतीय पक्ष कार्गो प्रहस्त नहीं किया है।

(iii) अब आईकेएलएल अपने स्वयं के हित में तृतीय पक्ष कार्गो भी प्रहस्त करना चाहता है। इसलिए, आईकेएलएल मौजूदा दरमानों की वैधता का विस्तार 31.12.2020 तक करने का अनुरोध करता है।

4.2. तत्पश्चात्, आईकेएलएल ने 26 सितंबर, 2020 के अपने पत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ, कार्गो प्रहस्तन प्रभारों की वैधता का विस्तार 31 दिसंबर, 2020 तक करने का अनुरोध पुन: दोहराया है। उक्त पत्र में आईकेएलएल ने आईकेबीएलएल और डीपीटी के बीच हुए रियायत करार में निर्धारित "संबद्ध" की परिभाषा का हवाला देते हुए बताया है कि इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) संबद्ध की परिभाषा के अंतर्गत आती है और इसलिए प्राधिकरण को आईपीएल से संबंधित कार्गो को कैप्टिव कार्गो समझते हुए कार्गो प्रहस्तन अनुमोदित करने का अनुरोध किया है। अगर यह व्यवहार्य नहीं है, तो आईकेएलएल ने तृतीय पक्ष शुष्क बल्क कार्गो के लिए निर्धारित दरों की वैधता का विस्तार, पराधिकरण द्वारा समय-समय पर अधिसूचित वार्षिक वृद्धि के साथ चाहा है।

5.1. इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरमानों की वैधता 31 मार्च, 2018 को समाप्त हो गई थी। आईकेएलएल ने लागू प्रशुल्क दिशानिर्देशों के अंतर्गत दरों के संशोधन का प्रस्ताव दायर नहीं किया है।

5.2. उपरोक्त को देखते हुए और चूंकि आईकेबीएलएल के मौजूदा दरमानों की वैधता 31 मार्च 2018 को समाप्त हो गई है और आईकेएलएल (पहले आईकेबीएलएल के नाम से ख्यात) के अनुरोध को देखते हुए, यह प्राधिकरण आईकेएलएल के (भूतपूर्व आईकेबीएलएल) के मौजूदा दरमानों की वैधता का विस्तार उनकी समाप्ति की तारीख से 31 दिसंबर, 2020 तक या संशोधित दरमानों के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक, जो भी पहले हो, करता है।

5.3. इसी बीच एमओएस ने महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 111 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 05 मार्च, 2019 के अपने पत्र संख्या पीआर-14019/20/2009-पीजी (भाग-IV) के द्वारा सभी महापत्तन न्यासों में कार्यरत उन बीओटी प्रचालकों के लिए, जो पहले प्रशुल्क दिशानिर्देश 2005 के अंतर्गत शासित होते थे, दिशानिर्देश जारी किये और इस प्राधिकरण को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने का निदेश दिया। महापत्तन न्यासों में कार्यरत बीओटी प्रचालकों के लिए प्रशुल्क दिशानिर्देश और पहले प्रशुल्क दिशानिर्देश 2005 द्वारा शासित होते थे, भारत के राजपत्र असाधारण (भाग 3 संख्या 4) में 07 मार्च, 2019 के राजपत्र संख्या 92 में अधिसूचित हुए। तत्पश्चात्, प्रशुल्क नीति 2019 के खंड 1.7 के अनुसार, प्रशुल्क नीति को कार्यान्वित करने के लिए कार्यकारी दिशानिर्देश, महापत्तन न्यासों और प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2005 के द्वारा शासित उनमें कार्यरत बीओटी प्रचालकों, से परामर्श के पश्चात् भारत के राजपत्र में 11 जुलाई, 2019 के राजपत्र संख्या 244 में अधिसूचित हुए।

5.4. जहां तक, आईकेएलएल का यह मुद्दा कि आईपीएल के कैप्टिव कार्गो के रूप में कार्गो प्रहस्तन प्रभारों को अनुमोदित करने का प्रश्न है, आईकेएलएल का ध्यान 15 जनवरी, 2016 के आदेश के पैरा 8.1. 11, क्रमांक 5 (i) में आईकेएलएल के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है, जहां आईकेएलएल ने बताया था कि कैप्टिव कार्गो शुष्क बल्क कार्गो के अंतर्गत आता है, यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि दरमानों में पहले ही शुष्क बल्क कार्गो की दरें निर्धारित हैं। मौजूदा दरमानों की वैधता के विस्तार से आईकेएलएल के इस मुद्दे का समाधान हो जाता है।

5.5. चूंकि आईकेएलएल के पहले के प्रशुल्क संशोधन प्रशुल्क दिशानिर्देश 2005 के दिशानिर्देशों के अंतर्गत किये गए थे, जिन्हें अब प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, आईकेएलएल को सलाह दी जाती है कि वे अपने दरमानों के संशोधन का प्रस्ताव प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के अंतर्गत 30 नवंबर, 2020 तक दायर कर दें।

5.6. जहां तक आईकेएलएल का यह प्रश्न कि उसके मौजूदा दरमानों की वैधता का विस्तार लागू वृद्धि के साथ किया जाए, यह बताया जाता है कि आईकेएलएल के मौजूदा दरमान प्रशुल्क दिशानिर्देश 2005 के अंतर्गत अनुमोदित किये गए थे। प्रशुल्क दिशानिर्देश 2005 के अंतर्गत लागू प्रशुल्क में वार्षिक वृद्धि का कोई उपबंध नहीं है।

6.1. परिणाम में और ऊपर बताये गए कारणों से तथा सामूहिक विचार-विमर्श के आधार पर आईकेएलएल (भूतपूर्व आईकेबीएलएल) के मौजूदा दरमानों की वैधता का विस्तार का विस्तार उनकी समाप्ति की तारीख से अर्थात् 01 अप्रैल, 2018 से 31 दिसंबर, 2020 तक की अवधि के लिए अथवा आईकेएलएल द्वारा दायर किये जाने वाले प्रशुल्क प्रस्ताव के आधार पर संशोधित दरमानों की अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख तक, जो भी पहले हो, किया जाता है।

6.2. आईकेएलएल को यह सलाह दी जाती है कि वे प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के अंतर्गत अपने दरमानों के संशोधन का प्रस्ताव 30 नवंबर, 2020 तक दायर कर दें।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन.-III/4/असा./354A/2020-21]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 29th October 2020

No.TAMP/55/2013-KPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of existing Scale of Rates of IFFCO Kisan Logistics Limited (IKLL) (formerly known as IFFCO Kisan Bazar & Logistics Limited (IKBLL)) at Deendayal Port Trust (DPT) as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No.TAMP/55/2013-KPT

IFFCO Kisan Logistics Limited(IKLL) - - - **Applicant**

ORDER

(Passed on this 28th day of October 2020)

This case relates to the extension of validity of existing Scale of Rates of IFFCO Kisan Logistics Limited(IKLL) (formerly known as IFFCO Kisan Bazar & Logistics Limited (IKBLL)) at Deendayal Port Trust (DPT).

2. This Authority vide Order no. TAMP/55/2013-KPT dated 15 May 2015 had approved Scale of Rates for handling of cargo at the barge jetty of IFFCO Kisan Bazar and Logistics Limited (IKBLL) at DPT as an interim tariff arrangement till final rates are approved by this Authority. The said Order was notified in the Gazette of India vide Notification no. 195 dated 28 May 2015.

3.1. Subsequently, this Authority vide Order No.TAMP/55/2013-KPT dated 15 January 2016 has approved Scale of Rates of IKBLL wherein Section 3 – Cargo handling charges prescribed in the interim SOR is revised based on the cost position.

3.2. The said Order was notified in the Gazette of India vide Notification no.69 dated 17 February 2016. The validity of the SOR prescribed in the said Order is till 31 March 2018. The approval accorded shall automatically lapse thereafter unless specifically extended by the Authority.

4.1. Now, the IFFCO Kisan Logistics Limited (IKLL) (formerly known as IKBLL), vide its letter dated 02 September 2020, has requested for extension of the validity of cargo handling charges prescribed under Section 3 of its existing SOR till 31 December 2020. The main points made by the IKLL are summarized below:

(i) As per the tariff Order notified on 17 February 2016, the approved rates were in force till 31 March 2018. However, IFFCO inadvertently forgot to apply for the extension of time limit prior to its expiry date. IFFCO requests TAMP to condone the mistake on its part.

(ii) DPT is a very busy port and IKLL was expecting that DPT will divert third party cargo to IKLL captive Barge Jetty in case of free available time at Berth in accordance with the Concession Agreement executed between IKBLL and DPT on 17 February 2011. However, there was no such Third Party Cargo diverted by DPT till date. As a result, IKLL is not able to handle any third party cargo since the tariff approval is accorded by TAMP.

(iii) Now, IKLL wishes to handle third party cargo on its own interest and further to increase the business and therefore, IKLL requests for extension of validity of existing rates till 31.12.2020.

4.2. Subsequently, the IKLL, vide its letter dated 26 September 2020, inter alia, has reiterated its request for extension of validity of cargo handling charges till 31 December 2020. In the said letter IKLL has, referring to definition of "Affiliate" prescribed in the Concession Agreement signed between IKBLL and DPT, stated that Indian Potash Limited(IPL) falls under the definition of Affiliate and hence requested TAMP to approve the handling of cargo pertaining to IPL as captive cargo. In case not feasible, IKLL has sought approval for extension of validity of rates prescribed for third party cargo for Dry Bulk cargo with applicable annual escalation notified by TAMP from time to time.

5.1. The validity of the SOR approved by this Authority has expired on 31 March 2018. The IKLL is yet to file the proposal for revision of rates under applicable Tariff Guidelines.

5.2. In view of the above and since the validity of the exiting Scale of Rates of IKBLL has expired on 31 March 2018 and in view of the request made by the IKLL (formerly known as IKBLL), this Authority extends the validity of the existing SOR of IKLL (formerly known as IKBLL) from the date of its expiry till 31 December 2020 or the effective date of implementation of the revised SOR, whichever is earlier.

5.3. The Ministry of Shipping (MOS) vide its letter No.PR-14019/20/2009-PG (Pt.IV) dated 05 March 2019 has issued a Tariff Guidelines 2019 for BOT operators operating in all Major Port Trusts and previously governed by 2005 Tariff Guidelines in exercise of powers conferred on it by Section 111 of the Major Port Trusts Act, 1963, and directed the Authority to act accordingly with immediate effect. Accordingly, the Tariff Guidelines 2019 for BOT operators operating in Major Port Trust and previously governed by 2005 Tariff Guidelines has been notified in the Gazette of India Extraordinary on 07 March 2019 vide Gazette No.92. Thereafter, as per Clause 1.7 of the Tariff

Policy, 2019, Working Guidelines to operationalize the Tariff Policy is also notified in the Gazette of India vide Gazette No.244 dated 11 July 2019.

5.4. As regards the point made by IKLL to approve cargo handling charge for IPL as captive cargo, reference is drawn to reply of IKLL in Para 8.1., II Sr. No.5(i) of Order dated 15 January 2016, wherein IKBLL has stated that captive cargo is falling under Dry Bulk cargo, it is relevant to state that existing SOR already prescribes rate for Dry Bulk cargo. The extension of validity of the existing SOR shall address the point made by IKLL.

5.5. Since the earlier tariff revision of IKLL was approved following Tariff Guidelines of 2005 which is now replaced with new Tariff Guidelines 2019, the IKLL is adviced to file its proposal under Tariff Guidelines 2019 for revision of its SOR before 30 November 2020.

5.6. As regards the point made by the IKLL for extending the validity of its existing SOR with applicable escalation, it is to state that existing SOR of IKLL was approved under Tariff Guidelines of 2005. There is no annual escalation in tariff applicable under Tariff Guidelines, 2005.

6.1. In the result, and for the reasons given above, and based on collective application of mind, the validity of the existing Scale of Rates of IKLL (formerly known as IKBLL) is extended from the date of its expiry i.e. for the period from 01 April 2018 till 31 December 2020 or till the date of effect of notification of the revised SOR based on the tariff proposal to be filed by the IKLL, whichever is earlier.

6.2. The IKLL is advised to file its proposal for revision of SOR under Tariff Guidelines 2019 before 30 November 2020.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./354A/2020-21]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA